भारत सरकार

शक्षा मंत्रालय

उच्चतर शक्षा वभाग

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या-1249

उत्तर देने की तारीख-**08/12/**2025

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) का नया ढांचा

†1249. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या शक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) के कार्यकरण में सुधार लाने और देश में शक्षा की गुणवत्ता को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक नया ढांचा स्था पत करने के लए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने वक सत देशों के शैक्ष णक संस्थानों की कठोर शै क्षक संपरीक्षा की पद्धतियों सहित अन्य वनियमों की जांच की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत की शै क्षक गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लए सरकार द्वारा अपनाए जाने हेतु कन-कन प्रमुख बिन्दुओं की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार का वचार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के लए कोई कानून अ धनिय मत करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में शैक्ष णक संस्थाओं के प्रत्यायन में क थत अनिय मत गति व धयों को दूर करने और रोकने के लए सरकार द्वारा कए गए/कए जा रहे व शष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

शक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और **(ख)**: राष्ट्रीय शक्षा नीति (एनईपी), **2020** की संकल्पना के अनुसार, श्रेणीबद्ध प्रत्यायन की एक सुदृढ़ प्रणाली स्था पत की जाएगी, जो गुणवत्ता, स्व-शासन और स्वायत्तता के निर्धारित स्तरों को प्राप्त करने के लए सभी उच्चतर शक्षा संस्थानों के लए चरणबद्ध मापदंड निर्दिष्ट करेगी।

उच्चतर शक्षा संस्थानों (एचईआई) के मूल्यांकन और प्रत्यायन को सुदृढ़ करने के लए, भारत सरकार ने डॉ. के. राधाकृष्णन, तत्कालीन अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, भारतीय प्रौद्यो गकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर और आईआईटी परिषद की स्थायी स मति की

अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय स मति का गठन कया। इस स मति ने एनईपी, **2020** की संकल्पना के अनुरूप कार्यनीति सुधारों की शुरूआत और प्रौद्यो गकी-संचा लत प्रणा लयों के माध्यम से उच्चतर शक्षा संस्थानों के अनुमोदन, प्रत्यायन और रैं कंग के लए एक सरल, वश्वसनीय, उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता पर वचार कया। इसने प्रत्यायन संबंधी वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों पर भी वचार कया। स मति द्वारा की गई सफारिशों को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इस स मति की रिपोर्ट **http://naac.gov.in/images/docs/DrRadhakrishnanCommittee-FinalReport.pdf** पर उपलब्ध है।

सभी उच्चतर शक्षा संस्थान अपनी संस्थागत वकास योजनाओं (आईडीपी) के माध्यम से आगामी **15** वर्षों में उच्चतम स्तर के प्रत्यायन प्राप्त करने का लक्ष्य रखेंगे, और इस प्रकार अंततः स्वशासी डग्री प्रदान करने वाले संस्थानों/क्लस्टरों के रूप में कार्य करने का लक्ष्य रखेंगे। मौजूदा वैश्विक पद्धति के अनुसार, दीर्घकाल में, प्रत्यायन एक बाइनरी प्र क्रया बन जाएगी।

(ग) और (घ): स्वीकृत सफारिशों के आधार पर, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) जो वश्व वद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, दो चरणों बुनियादी/बाइनरी प्रत्यायन की शुरूआत और उसके बाद परिपक्वता आधारित श्रेणीबद्ध स्तर (एमबीजीएल) में सुधारों को कार्यान्वित कर रहा है। एनएएसी ने उच्चतर शक्षा संस्थानों के लए नई मान्यता पद्धति के बारे में राज्य के उच्चतर शक्षा प्रा धकारियों को जागरूक करने के लए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कए हैं और उनके साथ गहन परामर्श कया है।

****